कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड

पत्रांक 157 / 11–3 (केम्पा) दिनांक देहरादून जुलाई 29 2010

30 JUL 2010

मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.07.2010 को सम्पन्न राज्य कैम्पा स्टीयरिंग कमेटी की बैठक का कार्यवृत्त

राज्य कैम्पा स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया –

1.	श्री एस0के0 मट्टू, अपर मुख्य सचिव / एफ0आर0डी0सी0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सदस्य
2.	डॉ0 आर0बी0एस0 रावत, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य
3.	श्री एस0एस0 शर्मा, प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव, नैनीताल	सदस्य
4.	श्री ललित मोहन पन्त, सचिव वित्त, प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	श्री एम0सी0 जोशी, अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	आमंत्री
6.	श्री सुशान्त पटनायक, अपर सचिव, प्रमुख सचिव वन के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	श्री आदित्य कोठारी, अध्यक्ष, मातृछाया पर्वतीय विकास समिति	सदस्य
8.	श्री राजेन्द्र कुमार, अ0प्र0व0सं0 / नोडल अधिकारी, वन विभाग	सदस्य
9.	श्री डी0वी0एस0 खाती, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी	आमंत्री
10.	श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, मुख्य वन संरक्षक, देहरादून	आमंत्री
11.	श्री एच0पी0 उनियाल, नि0, रा0यो0आ0, प्रमुख सचिव नि. के प्रतिनिधि	सदस्य
12.	श्री एस0एम0 जोशी, वन संरक्षक मुख्यालय, देहरादून	आमंत्री
13.	श्री एस0एस0 रसाईली, निदेशक, रा0रा0 पार्क, देहरादून	आमंत्री
14.	श्री श्रीकान्त चन्दोला, अ0प्र0व0सं0, नि0 एवं वि0 प्रबन्धन	सदस्य सचिव

समिति के अध्यक्ष, सदस्यों तथा उपस्थिति आमंत्रियों का स्वागत करते हुए सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक आरम्भ की। स्टीयरिंग कमेटी के सम्मुख पावर प्वांइट प्रस्तुतिकरण करने से पूर्व समिति के सम्मुख कैम्पा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया और दिनांक 06.01.2010 की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णयों की प्रगति से अवगत कराते हुए सूचित किया गया कि सभी निर्णयों पर अनुपालन की कार्यवाही की गई है।

समिति को अवगत कराया गया कि आज की बैठक मुख्य रूप से एन0पी0वी0 (नेट प्रजेन्ट वैल्यू) से अर्जित धनराशि की वर्ष 2010–11 की वार्षिक कार्ययोजना (ए0पी0ओ0) के अनुमोदन से सम्बन्धित है चूंकि कैट प्लान, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, अस्कोट व गंगोत्री संरक्षित क्षेत्रों हेतु मात्रांकित धनराशि तथा अन्य विर्निदष्ट कार्यों (other specified activities) के लिए जो धनराशि राज्य कैम्पा में उपलब्ध है उसके स्थल व निर्दिष्ट कार्य पूर्व से ही निश्चित हैं।

मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल के द्वारा प्रदेश में कैम्पा फण्ड से प्रस्तावित 7 कैट प्लान योजनाओं यथा लाता–तपोवन, तपोवन–विष्णुगाड, सिंगोली–भटवाड़ी, पाला–मनेरी, फांटा–भ्यूंग, श्रीनगर–एच0ई0पी0 व लोहारीनाग–पाला का प्रभावित क्षेत्रफल, विर्निष्ट गतिविधियां तथा उनके लिए प्राविधानित धनराशि का विवरण समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया और अवगत कराया गया कि कैटप्लान भारत सरकार से अनुमोदित है तथा फांटा–भ्यूंग कैटप्लान में यथावांछित संशोधन किये जा चुके हैं। तदोपरान्त एन0पी0वी0, कैट प्लान, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, अस्कोट व गंगोत्री संरक्षित क्षेत्रों के प्रबन्धन तथा अन्य विर्निदष्ट कार्यों (other specified activities) के लिए वर्ष 2010–11 के लिए प्रस्तावित

वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्यों का अवलोकन करते हुए निम्न निर्देशों के साथ रू0 8517.98 लाख की कैम्पा की 2010–11 की वार्षिक योजना का निम्न प्रेक्षणों (observations) के साथ अनुमोदन किया गया –

1. एन0पी0वी0 की धनराशि से प्रस्तावित वन सुरक्षा, अवस्थापना व मानव संसाधन विकास के कम्पोनेन्ट में 20 बैरियर के सुदृढ़ीकरण हेतु जो धनराशि प्राविधानित है उसमें से वनबसा में एक प्रभावी चैक पोस्ट निर्मित की जानी चाहिए जिससे नेपाल सीमा से वन उत्पादों, वन्य जीव सामग्री, जड़ी–बूटी आदि की तस्करी को नियंत्रित किया जा सके।

2. एन0पी0वी0 फण्ड के अन्तर्गत वन्य जीव प्रबन्धन के कम्पोनेन्ट में प्रभागीय वनाधिकारियों के निर्वतन पर वन्य जीवों से होने वाली जानमाल की हानि हेतु किये गये प्राविधान के नाम से "कॉरपस" शब्द हटा दिया जाएगा।

3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के स्तर से अनुग्रह राशि के सही उपयोग हेतु मार्गनिर्देश दिये जायेंगे जिनमें प्रभागीय वनाधिकारियों को निर्देश दिये जायेंगे कि इस धनराशि को मुख्य रूप से वन्य जीवों द्वारा मारे गये अथवा घायल किये गये व्यक्तियों के मामलों में देय अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए प्रयोग किया जाएगा। कैम्पा फण्ड से किये गये अनुग्रह राशि के तात्कालिक भुगातन की प्रतिपूर्ति बजट से कदापि नहीं की जाएगी।

4. बैठक में इस बिन्दु पर विशेष रूप से चर्चा हुई कि बन्दरों से गांव व नगरों की जनता अत्यधिक आतंकित है और इस गम्भीर समस्या का समाधान कैम्पा की धनराशि से अवश्य किया जाना चाहिए। निदानस्वरूप यह निर्णय लिया गया कि कैम्पा की 10 वर्षीय कार्य योजना में प्राविधानित 6 वन्य जीव पुनर्वास केन्द्रों में 1 केन्द्र कुमांऊ तथा 1 केन्द्र गढ़वाल में पूर्ण रूप से बन्दरों के पुनर्वास हेतु समर्पित किया जाए। यह निर्णय भी हुआ कि जब तक सभी केन्द्र स्थापित नहीं हो जाते हैं तब तक हरिद्वार वन प्रभाग तथा अल्मोड़ा में निर्मित वन्य जीव पुनर्वास केन्द्रों में उत्पाती बन्दरों का पुनर्वास किया जाना चाहिए।

5. मा0 सदस्य, अध्यक्ष, मातृछाया पर्वतीय विकास समिति के द्वारा इस कार्य पर विशेष बल दिया गया कि वन विभाग द्वारा किये जाने वाले वृक्षारोपणों के अन्तर्गत फलदार प्रजातियों, यथा अखरोट, पांगर, बहेड़ा, आंवला आदि भी रोपित किये जाने चाहिए जिससे कि बन्दरों के लिए वनों में खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके और वे गांव तथा नगरों की तरफ अग्रसर न होंवे।

6. एन0पी0वी0 की धनराशि से प्रस्तावित वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण कम्पोनेन्ट में जहां पीरूल के एकत्रीकरण को रिवॉल्विंग फण्ड से कराये जाने का प्राविधान किया गया है वहां पर "रिवॉल्विंग फण्ड" शब्द को हटा दिया जाएगा और अब इस कार्य का संचालन रिवॉल्विंग फण्ड से करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

7. उक्त कम्पोनेन्ट में प्राविधानित वन पंचायत प्रहरियों को मानदेय के रूप में प्रोत्साहन भत्ते की राशि देय होगी जो सीधे पंचायत के खाते में डाली जाएगी और यह वन पंचायत के द्वारा चयनित व्यक्तियों की कार्यकुशलता के आधार पर वितरित की जावेगी। इस हेतु स्वयं सहायता समूह के मॉडल पर 2 वर्ष का कार्य मूल्यांकन करने के उपरान्तु श्रेणीकरण कर लिया जावे जिस पर तीसरे वर्ष का भुगतान निर्भर करेगा।

8. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत को राज्य कैम्पा ऐक्जेक्यूटिव कमेटी का सदस्य नामित किया जाए।

9. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि बांज तथा देवदार के जो वृक्षारोपण कैम्पा फण्ड के भूमि एवं जल संरक्षण के कम्पोनेन्ट में प्राविधानित किये गये हैं उन्हें बिखरे हुए स्थलों के रूप में न करते हुए एकत्रित कलस्टरों के रूप में किया जावे जिससे अधिकतम जल संरक्षण प्राप्त हो सके।

10. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि वन पंचायतों से सम्बन्धित समस्त धनराशि प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत के निर्वतन पर रखी जानी चाहिए और उनके स्तर से प्रभागीय वनाधिकारियों को वितरित की जाएगी। प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के अधीन योग्य अधिकारियों की तैनाती करने के निर्देश भी दिये गये।

11. अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास के द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि विलुप्त होने वाली वनस्पति प्रजातियों के संवर्द्धन पर वानिकी शोध तथा संवर्गी गतिविधियों (allied activities) के कम्पोनेन्ट का अवश्य प्राविधान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा शहीदों की स्मृति में "शहीद वन" स्थापित किये जाने का सुझाव भी दिया गया।

12. मुख्यमंत्री विकास योजनाओं के तहत हरित विकास योजना तथा जड़ी–बूटी विकास योजना के लिए रू0 530.93 लाख की धनराशि को कैम्पा से प्राविधानित किये जाने का निर्णय लिया गया।

13. मुख्यमंत्री वन पंचायत सुदृढ़ीकरण योजना के प्रचार–प्रसार एवं कार्यशाला पर होने वाले व्यय की मांग के सम्बन्ध में यह निर्णय हुआ कि प्रदेश स्तर का एक वन पंचायत सम्मेलन तथा शेष कार्यशालायें ऐसे ब्लॉक मुख्यालयों के स्तर पर आयोजित की जावें जिन ब्लॉकों में वन पंचायतें स्थित हैं। इन ब्लॉक स्तरीय कार्यशालाओं में ग्राम प्रधानों को भी अवश्य आमंत्रित किया जाना चाहिए। इस हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को अधिकृत किया गया कि वे इस धनराशि की व्यवस्था बचत, कटेन्जेन्सी आदि से करेंगे और आगामी स्टीयरिंग कमेटी को कृत कार्यवाही से अवगत करायेंगे।

14. मुख्यमंत्री हरित विकास योजना एवं जड़ी–बूटी विकास योजना के प्रचार–प्रसार हेतु प्रस्तावित धनराशि की व्यवस्था करने के लिए प्रमुख वन संरक्षक को अधिकृत किया गया जिसका वहन बचत, कटेन्जेन्सी आदि से किया जाएगा जिसे स्टीयरिंग कमेटी की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

15. राजाजी राष्ट्रीय पार्क के प्रबन्धन हेतु पूर्व में पी0जी0सी0आई0एल0 द्वारा जमा धनराशि में से प्रत्येक वर्ष रू0 442.40 लाख की धनराशि को कैम्पा में प्राविधानित करने के सम्बन्ध में यह निर्णय हुआ कि प्रथमतया प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों के लिए एन0पी0वी0 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से यथासम्भव रा0रा0 पार्क की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे व तदोपरान्त प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड से परामर्श करने के उपरान्त प्रदेश स्तर पर वर्ष 2010–11 हेतु एन0पी0वी0 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से पूर्ति करने का प्रयास करेंगे।

16. नीचे उल्लिखित नई मदों के लिए कैम्पा फण्ड की बचत, कन्टिन्जेन्सी आदि से धनराशि उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को अधिकृत किया गया –

क. राजभवन परिसर नैनीताल में आरकिड़ेरियम तथा फरनेटम हेतु रू0 4.15 लाख।

ख. बरम, पिथौरागढ़ में पाये गये काले बन्दर की डी0एन0ए0 प्रिन्टिंग हेतु रू0 6.00 लाख।

ग. उत्तरकाशी के गंवाणा, मूलीगाड, सौरागाड व बौनपंजियाला नालों में हो रहे वृहद् भू–क्षरण के नियत्रण हेतु रू0 80.00 लाख।

घ. बद्रीनाथ वन प्रभाग में ड्राइनेरिया फर्न के प्रकोप से ओक प्रजातियों के संरक्षण हेतु रू0 10.00 लाख।

च. उत्तराखण्ड का फ्लोरा, उत्तराखण्ड के पक्षी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु रू0 10.00 लाख।

छ. देहरादून–मसूरी राष्ट्रीय मार्ग के किमी0 13–32 के मध्य सौन्दर्यकरण वृक्षारोपण हेतु रू0 18.32 लाख।

ज. हनुमानगढ़, नैनीताल तथा गोपेश्वर में ईको–पार्क स्थापित करने हेतु रू0 20–20 लाख।

झ. हरित योजना के वृहद् प्रचार–प्रसार के पम्फलेट हेतु रू0 7.00 लाख का व्यय।

ट. शुक्लापुर जलस्रोत परियोजना हेतु रू0 26.90 लाख।

ठ. मानक सिद्ध रौ के उपचार हेतु विस्तृत परियोजना प्रस्तुत करने के उपरान्त विचार करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त कार्यवाही के उपरान्त अगली स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के सम्मुख प्रमुख वन संरक्षक द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

17. समिति द्वारा निम्न अनुमोदन किये गये –

क. अग्निकाल में वनाग्नि शमन हेतु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रभागों को कैम्पा फण्ड से वितरित रू0 104.00 लाख का अनुमोदन।

ख. मुख्यमंत्री विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रभागों को कैम्पा फण्ड से वितरित रू0 150.00 लाख का अनुमोदन।

18. उक्त के अतिरिक्त समिति द्वारा पर्याप्त विमर्शोपरान्त निम्न निर्णय भी लिये गये –

क. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के स्तर से राज्य कैम्पा की धनराशि के उपयोग हेतु विस्तृत गाईडलाइन जारी की जावे जिनसे फील्ड अधिकारियों का उचित मार्गदर्शन हो सके। इन गाईड लाइन में ऐसी व्यवस्था की जानी है कि प्रभागीय स्तर पर पर्याप्त वित्तीय संयम सुनिश्चित हो सके।

ख. स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में पारित वार्षिक कार्ययोजना (ए0पी0ओ0) की धनराशि को प्रमुख वन संरक्षक द्वारा निर्धारित निश्चित किश्तों में वितरित किया जावे।

19. मनरेगा के अनुरूप कार्य पद्वति अपनाये जाने के सम्बन्ध में समिति का यह निर्णय हुआ कि मनरेगा द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक वितरण किया जाएगा तथा कार्य की प्रकृति को देखते हुए मस्टररोल संधारित किये जायेंगे।

20. सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वन मुख्यालय के निर्माण हेतु पूर्व में रू0 600.00 लाख का प्राविधान वर्ष 2010–11 में कैम्पा फण्ड के एन0पी0वी0 कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत वन सुरक्षा, अवस्थापना विकास तथा मानव संसाधन की मद में किया गया था जिसे अब 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राविधानित कर इस बचत का उपयोग मुख्यमंत्री विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु किया जा रहा है। इस पर सचिव वित्त ने समिति को अवगत कराया कि 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत मुख्यालय निर्माण हेतु धनराशि नहीं दी जा सकती है और इस प्रयोजन हेतु धनराशि का प्राविधान या तो कैम्पा में ही किया जाए अथवा राज्य सेक्टर की आवासीय/अनावासीय योजना (पूंजीगत) के अन्तर्गत किया जाए।

अध्यक्ष स्टीयरिंग कमेटी तथा सभी सदस्यों के प्रति बैठक में प्रतिभाग करने के लिए अपना बहुमूल्य समय उपलब्ध कराने तथा अपने मूल्यवान अनुभव एवं ज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए सदस्य सचिव ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसके उपरान्त राज्य कैम्पा की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक समाप्त हुई।

उक्त कार्यवृत मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन /अध्यक्ष, स्टेट केम्पा स्टीयरिग कमेटी के दिनांक 29–7–2010 के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

पत्रांक 157 / 11–3 (केम्पा) दिनांक देहरादून जुलाई 29 , 2010

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

30 JUL 2010

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 वन मंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मा0 नियोजन मंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
6. अपर मुख्य सचिव / एफ0आर0डी0सी0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
10. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव, नैनीताल।
12. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत एवं संयुक्त प्रवन्धन, उत्तराखण्ड।
13. वन महानिरीक्षक, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, सी0जी0ओ0 कम्पलेक्स, नई दिल्ली।
14. सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
15. अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
16. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
17. अध्यक्ष, मातृछाया पर्वतीय विकास समिति, गजा टिहरी गढवाल।
18. अध्यक्ष, ग्रीन हिल वेलफेयर सोसायटी, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।
19. अध्यक्ष, स्वती ग्रामोघोग, धारचूला रोड पिथोरागढ।
20. अध्यक्ष, पर्यावरण राग जन–जान जागृति समिति(पराज), नौगांव बाजार, उत्तरकाशी।
21. अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, वन विभाग।
22. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
23. मुख्य वन संरक्षक, बांस एवं रेशा बोर्ड, देहरादून।
24. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
25. वन संरक्षक मुख्यालय, देहरादून।
26. निदेशक, रा0रा0 पार्क, देहरादून।
27. वित्त नियंन्त्रक, वन विभाग, उत्तराखण्ड।

श्रीकान्त चन्दोला,
अपर प्रमुख वन संरक्षक / सदस्य सचिव,
राज्य कैम्पा स्टीयरिंग कमेटी